मोबाइल नम्बर
Mobile Number

# कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
# EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS ORGANISATION

## संयुक्त दावा प्रपत्र (आधार)
## COMPOSITE CLAIM FORM (AADHAR)

**(उन मामलों में, जहां फार्म-11 (न्यू) में सदस्य की पूर्ण जानकारी, जैसे आधार नम्बर एवं बैंक खाता विवरण यू.ए.एन. पोर्टल पर उपलब्ध है एवं यू.ए.एन. एक्टिवेट हो चुका है)**

**(APPLICABLE IN CASES WHERE EMPLOYEES' COMPLETE DETAILS IN FORM-11 (NEW), AADHAR NUMBER AND BANK ACCOUNT DETAILS ARE AVAIALABLE ON UAN PORTAL AND UAN HAS BEEN ACTIVATED)**

**फार्म सं. – 19 (भविष्य निधि अंतिम निपटान) / 10सी ( पेंशन प्रत्याहरण) / 31 (भविष्य निधि आंशिक प्रत्याहरण)**

**[ FORM NO. – 19 (PF FINAL SETTLEMENT) / 10C (PENSION WITHDRAWAL BENEFITS) / 31 (PF PART WITHDRAWAL)]**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | दावा जिसके लिए आवेदन किया है Claim applied for:<br>i) भ.नि.अंतिम निपटान /Final PF Settlement ( ) ii) पेंशन प्रत्याहरण/लाभ Pension Withdrawal Benefits ( ) iii) भ.नि. आंशिक प्रत्याहरण P.F. Part Withdrawal ( )<br>(जो लागू हो, उस पर √ का निशान लगाएं) (Tick whichever is/are applicable) | |
| 2 | सदस्य का नाम (स्पष्ट शब्दों में):<br>Name of the member: (IN CAPITAL LETTERS) | |
| 3 | यू.ए.एन./Universal Account Number (UAN) | |
| 4 | आधार नम्बर / Aadhar Number: | |
| 5 | स्थापना में कार्य ग्रहण की तिथि/ Date of joining the establishment: | |
| 6 | क) भ.नि. आंशिक प्रत्याहरण का उद्देश्य (जो लागू हो, उस पर √ का निशान लगाएं)<br>Purpose of PF PART Withdrawal: (Tick √ whichever applicable)<br><br>ख) राशि (रुपयों में)/ Amount (in Rs.): _____<br><br>ग) साईट/मकान/फ्लैट या "एजेंसी" के माध्यम से निर्माण या आवासीय ऋण या एल.आई.सी. की अदायगी के उद्देश्य से ली जाने वाली राशि के लिए प्राप्तकर्ता का पता और चैक जिसके पक्ष में बनाया जाना है दर्शाएं।<br>For purpose of Site/House/Flat or Construction through "agency" or Repayment of Housing Loan or LIC, indicate cheque to be drawn "in favour of" and payee's address. | |
| 7 | नौकरी छोड़ने की तिथि (यदि आवेदन भ.नि. आंशिक प्रत्याहरण हेतु है तो आवश्यक नहीं)<br>Date of leaving service: (not required if applying for PF Part Withdrawal) | |
| 8 | क) स्थायी खाता संख्या (पैन) (केवल 5 वर्ष से कम सेवाकाल होने पर)<br>(कृपया फार्म 15जी/15एच की दो प्रतियां संलग्न करें, यदि लागू हो)<br>Permanent Account No.(PAN): (Only in case of service less than 5 years)<br>(Please enclose two copies of Form No. 15G/15H, if applicable)<br>ख) नौकरी छोड़ने का कारण / Reason of leaving Service:<br>- सेवा समाप्ति (क) खराब स्वास्थ्य के कारण (ख) नियोक्ता के व्यापार के संकुचन विच्छेदन के कारण या (ग) सदस्य के नियंत्रण से परे कोई कारण<br>Service terminated on account of (a) ill health of member (b) Contraction /Discontinuation of employer's business or (c) Other Cause beyond the control of the member<br>- व्यक्तिगत कारण / Personal Reasons | |
| 9 | पत्र व्यवहार का पता<br>Full Postal address | पिन/Pin..... |

| क्र. सं/ SN | भ.नि. आंशिक प्रत्याहरण का उद्देश्य / Purpose of PF Part Withdrawal | √ |
|---|---|---|
| i | आवास ऋण/ स्थल/मकान/फ्लैट की खरीद या निर्माण/ वर्तमान मकान में अतिरिक्त परिवर्तन/ आवास ऋण को चुकाने में (पैरा 68बी/68बीबी/68बीसी)<br>Housing Loan/Purchase of site/House/Flat or for Construction/Addition, alteration in existing house/Repayment of Housing loan (Para 68B/68BB/68BC) | |
| ii | फैक्टरी की तालाबंदी या बंद होना (पैरा 68एच)<br>Lockout or closure of factory (Para 68H) | |
| iii | सदस्य/परिवार की बीमारी (पैरा 68जे)<br>Illness of member/family (Para 68J) | |
| iv | स्वयं/पुत्र/पुत्री /भाई/बहन का विवाह (पैरा 68के)<br>Marriage of self/son/ daughter/brother/ sister (Para 68K) | |
| v | बच्चों के मैट्रिक के बाद की शिक्षा (पैरा 68के)<br>Post Matriculation education of children (Para 68K) | |
| vi | प्राकृतिक आपदा के मामले (पैरा 68एल)<br>Natural calamity (Para 68L) | |
| vii | स्थापना में बिजली उपलब्ध न होने की स्थिति में (पैरा 68एम)<br>Cut in electricity in establishment (Para 68M) | |
| viii | मेडिकल उपकरण की खरीद (पैरा 68एन)<br>Purchasing equipment by physically handicapped (Para 68N) | |
| ix | सेवानिवृत्ति से एक वर्ष से पहले (पैरा 68एनएन)<br>One year before retirement (Para 68NN) | |
| x | वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश (पैरा 68एनएनएन)<br>Investment in Varistha Pension BimaYojana (Para 68NNN) | |

- प्रमाणित करता हूं कि विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है। मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने यू.ए.एन. पोर्टल में सीडेड डाटा देखा है और सभी डाटा प्रपत्र संख्या 11 (नया) सहित बैंक खाता विवरण और आधार संख्या, सही पाया है। कृपया यू.ए.एन. पोर्टल में दिए गए बैंक खाते में राशि का भुगतान करें। एक निरस्त चैक (जिसमें सदस्य का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड दिया गया है) संलग्न है।
  Certified that the particulars are true to the best of my knowledge. I certify that I have gone through the data seeded in UAN Portal and found all data, including Form No.-11 (New), bank account details and Aadhar number, to be correct. Please make the payment in the bank account mentioned in the UAN Portal. A cancelled cheque (containing member's name, bank account number and IFS Code) is attached herewith.
- यदि राशि का उपयोग उपर्युक्त कॉलम (6) में दिए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए होता है तो मैं संपूर्ण राशि को ब्याज सहित वापस करने के लिए उत्तरदायी हूं।
  In case the amount is used for any purpose other than stated in column (6) above, I am liable to return the entire amount with penal interest.

सदस्य के हस्ताक्षर
Member's Signature

## संयुक्त दावा प्रपत्र (आधार) भरने संबंधी अनुदेश
## INSTRUCTION SHEET FOR FILLING COMPOSITE CLAIM FORM (AADHAR)

1. संयुक्त दावा प्रपत्र (आधार) ऐसे मामलों में लागू होगा जहां सदस्य प्रपत्र-11 (नया) में विवरण पूर्ण करता है, आधार नंबर तथा बैंक खाते का विवरण यू.ए.एन. पोर्टल पर उपलब्ध है तथा यू.ए.एन. सक्रिय किया गया है। ऐसे सदस्य संबंधित क.भ.नि.सं. कार्यालय मे नियोक्ता के सत्यापन के बिना सीधे फॉर्म जमा कर सकते हैं।
/The Composite Claim Form (Aadhar) is applicable in cases where a member's complete details in Form-11 (New), Aadhar number and bank account details are available on the UAN Portal and UAN has been activated. Such members can submit this form directly to the concerned EPFO office, without attestation of claim form by the employers.

2. अग्रिम का उद्देश्य एवं अपेक्षित दस्तावेज (उद्देश्य निम्नलिखित में से एक हो सकता है):
Purpose of advance & documents required: (The purpose may be one of the following):

   i) **आवास ऋण /भूमि /घर /फ्लैट खरीदने हेतु/ वर्तमान घर में निर्माण/अतिरिक्त फेर बदल/हाऊसिंग ऋण को चुकाने के लिए:** कोई दस्तावेज अपेक्षित नहीं है। नया घोषणा प्रपत्र/यूटीलाईजेशन प्रमाणपत्र जो पहले अपेक्षित था अब आवश्यक नहीं होगा/
   **Housing Loan/Purchase of site/house/flat or for construction/Addition alteration in existing house/Repayment of Housing loan:** No document is required. New Declaration Form/Utilization Certificate required earlier has been discontinued.

   ii) **सदस्य/परिवार की बीमारी:** i) डाक्टर का प्रमाणपत्र एवं ii) नियोक्ता द्वारा प्रमाणपत्र कि सदस्य को क.रा.बीमा निगम सुविधा प्राप्त नहीं है सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
   **Illness of member/family:** i) Certificate of doctor and ii ) Certificate by employer that ESIC facility is not available to the member may be submitted by the member.

   iii) **स्वयं/पुत्र /पुत्री /भाई/बहन का विवाह:** कोई दस्तावेज/शादी का कार्ड अपेक्षित नहीं है।
   **Marriage of self/son/daughter/brother/sister:** No document/Marriage Card is required.

   iv) **दसवीं के बाद बच्चों की पढ़ाई:** कोई दस्तावेज अपेक्षित नहीं है।
   **Post Matriculation education of children**: No document is required.

   v) **फैक्ट्री बंद होना अथवा तालाबंदी:बिजली की आपूर्ति बंद होना/** कोई दस्तावेज अपेक्षित नहीं है।
   **Lockout or closure of factory/Cut in supply of electricity:** No document is required

   vi) **प्राकृतिक आपदा :** कोई दस्तावेज अपेक्षित नहीं है।
   **Natural calamity:** No document is required.

   vii) **शारीरिक रूप से विक्लांग द्वारा उपकरण खरीदने हेतु:** चिकित्सा प्रमाणपत्र अपेक्षित है।
   **Purchasing equipment by physically handicapped:** Medical certificate is required.

   viii) **सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व:** भविष्य निधि के कुल शेष की 90% निकासी की जा सकती है। कोई दस्तावेज अपेक्षित नहीं है।
   **One year before retirement:** 90% of total PF balance can be withdrawn. No document is required.

   ix) **वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश:** भविष्य निधि के कुल शेष का 90% जीवन बीमा निगम में अंतरित किया जा सकता है। कोई दस्तावेज अपेक्षित नहीं है।
   **Investment in Varistha Pension Bima Yojana:** 90% of total PF balance can be transferred to LIC. No document is required.

3. सदस्य द्वारा राजस्व स्टाम्प (1रू/-) लगाने की आवश्यकता नहीं है।
No Revenue stamp (Re. 1/-) is required to be affixed by the member.

4. आयकर (टीडीएस) काटा जाएगा यदि सेवा 5 वर्ष (60 माह) से कम है। आयकर (टीडीएस) नहीं काटा जाएगा यदि कुल शेष रू. 50,000 से कम है। यद्यपि ऐसे मामलों में टीडीएस 10% की दर से काटा जाएगा यदि सदस्य पैन प्रस्तुत करता है। पैन प्रस्तुत नहीं किए जाने के मामले में 34.608% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।
Income Tax (TDS) is deducted if the service is less than 5 years (60 months). No Income Tax (TDS) is deducted in case the total balance is less than Rs. 50,000/-. However, TDS is deducted @10% if the member submits PAN in such cases. In case PAN is not submitted, then TDS @34.608% is deducted.

   वर्तमान स्थापना के साथ-साथ पिछली स्थापना की कुल सेवा की गणना की जाएगी, अत: सभी भविष्य निधि खातों को एक साथ मिलाने का सुझाव दिया जाता है।
   The total service in the present establishment as well as previous establishment is counted and, therefore, it is advisable to merge all PF accounts.

5. पेंशन निकासी लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब सेवा दस वर्ष से कम हो।
Pension Withdrawal benefits can be availed only if the service is less than 10 years.